

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 116 / 2025

1. लीलाधर पुत्र राजाराम जाति जाट निवासीयान ढाणी लूणावाली तहसील
2. पवन कुमार पुत्र राजाराम टिब्बी जिला हनुमानगढ़
वादीगण

बनाम्

- 1 राजाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी लूणावाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2 सरस्वती पुत्री राजाराम पत्नी रायसाहब जाति जाट निवासी 26 एस. एस. डबल्यू फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 राजाराम के नाम से चक नं० 7 डीबीएल के खाता सं० 22/26 में 5.945 है० आराजी में 1/24 हिस्सा, चकनं० 2 एम.एस.टी. एस. एम. के खाता सं० 8/12 में कुल 26.349 है० में 3773/70264 हिस्सा, चक नं० 4 एम. एस. टी. एस. एम. सहित के खाता सं० 62/39 में कुल 0.506 है० में 3/64 हिस्सा, चकनं० 3 डीबीएल के खाता सं० 23/33 में कुल 7.945 है० आराजी में 596/14301 हिस्सा, चकनं० 4 डीबीएल के खाता सं० 23/23 में कुल 39.721 है० में 14896/357489 हिस्सा, चकनं० 5 डीबीएल के खाता सं० 9/15 में कुल 23.693 है० आराजी में 1/24 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 7 डीबीएल के खाता सं० 22/26, चकनं० 2 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं० 8/12, चकनं० 4 एम.एस.टी. एस. एम. सहित के खाता सं० 62/39, चकनं० 3 डीबीएल के खाता सं० 23/33, चक नं० 4 डीबीएल के खाता सं० 23/23, चकनं० 5 डीबीएल के खाता सं० 9/15 में से प्रतिवादी सं० 1 राजाराम का नाम कलमजन किया जाकर तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं जिला कलक्टर टिब्बी।